स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष :- 07781 - 252288 फैक्स 07781 - 252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

छ.ग. शासन वित्त विभाग के यू.ओ.कमांक 540/2013-42-00007/वित्त विभाग/ब-3/2013 दिनांक 12.12.2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/एफ 5-80/2013 तक.शि./42 नया रायपुर दिनांक 07.7.2014 एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक/रापलाका/स्था./2015/139 रायपुर दिनांक 27.06.2015 के प्राप्त निर्देशानुसार जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, नारायणपुर के जिला स्तरीय कार्यालय हेतु सहायक परियोजना अधिकारी (APO) तीन वर्ष के संविदा (निश्चित वेतन ₹ 50000/-) नियुक्ति हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक योग्य आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय, जिला पंचायत, नारायणपुर में दिनांक 15.09.2015 समय सांय 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन का प्रारूप व शैक्षणिक योग्यता संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट **www.splc.cgstate.gov.in, www.cgstate.gov.in, www.zpnarayanpur.gov.in** तथा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

13-8-2015

आदेशानुसार

प्राचार्य

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज

जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

पृ.क./1650 /जि.प./स्था./2015–16 नारायणपुर दिनांक 13.08.2015

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना अधिकारी, NIC नारायणपुर उक्त विज्ञापन को www.cg.gov.nic.in व www.splc.cgstate.gov.in जिले की वेबसाईट www.zpnarayanpur.gov.in पर अपलोड करने हेतु (विज्ञापन में PDF में)
2. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ कर, लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति दो प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित करें।

13-8-15

प्राचार्य

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज

जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मागदर्शन केन्द्र, नारायणपुर, छ.ग.

दूरभाष :– 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

–:: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन ::–

क्रमांक/1649/स्था./भर्ती/2015–16 नारायणपुर दिनांक 13.08.2015

छ.ग. शासन वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 540/2013–42–00007/वित्त विभाग/ब–3/2013 दिनांक 12.12.2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 5–80/2013 तक.शि./42 नया रायपुर दिनांक 07.7.2014 एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/रापलाका/स्था./2015/139 रायपुर दिनांक 27.06.2015 के तहत् जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, नारायणपुर के जिला स्तरीय कार्यालय हेतु सहायक परियोजना अधिकारी, संविदा तीन वर्ष (निश्चित वेतन) नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन की अंतिम तिथि 15/09/2015 सांय 5.00 बजे तक है। विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पदनाम/वर्ग /वेतन	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	चयन प्रकिया एवं अंक विभाजन
1	सहायक परियोजना अधिकारी 01 पद अनारक्षित 50000/– प्रतिमाह (एक मुश्त)	मास्टर इन बिजनेस एडमिनेस्ट्रशन या बेचलर ऑफ इन्जीनियरिंग या बेचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकेनिकल या मेनुफेक्चियुरिंग या इन्डिसट्रियल इन्जीनियरिंग और 02 वर्षो का कौशल उन्नयन या इन्डस्ट्री में कार्य करने का 03 वर्षो का अनुभव।	पात्र पाये गए आवेदकों को 90 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की **"एनालिटिकल, रीजनिंग एण्ड क्वान्टिटेटीव एबलिटी टेस्ट"** हेतु लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रवीण्यता सूची तैयार की जावेगी। प्रवीण्यता के आधार पर पद के संख्या के 07 गुना आवेदकों साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जावेगा। साक्षात्कार के अधिकतम अंक 10 होगी। कौशल परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। जिसके आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जावेगा। चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर एवं अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही अंतिम रूप से चयन हेतु पात्र माना जायेगा।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट :– **www.splc.cgstate.gov.in, www.cgstate.gov.in, www.zpnarayanpur.gov.in** तथा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है। भर्ती प्रकिया से संबंधित समस्त जांनकारियां उपरोक्त वेबसाईट्स में अपलोड की जावेगी।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छ.ग सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।

2. नियुक्ति की अवधि :– संविदा नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्ष अवधि के लिए होगी। चयनित व्यक्ति को तीन वर्षो की अवधि के लिए करार के माध्यम से अनुबंधित किया जाएगा, आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तंता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। यह अवधि अगले तीन वर्षो के लिए विस्तारनीय होगा और आंरभिक तीन वर्षो के अवधि के दौरान राज्य शासन के कर्मचारी को देय बढ़ी मंहगाई भत्ता के अनुसार विस्तारण के समय परिलब्धियों के अभिसूचक के साथ अनुबंधित किया जावेगा। संविदा अवधि के समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।

3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। ताकि यदि आगामी वर्षो के लिये पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नही होगी।

पद हेतु आवेदन करने के लिये आयु सीमा :–

(क) अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छ0ग0 के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।

(ख) **आयु सीमा में छूट की शर्ते** :– उच्चतर आयु सीमा में छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गए निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) का हो तो उच्चतम आयुसीमा में अधिकतम 05 वर्षो तक छूट दी जावेगी।

2. छ.ग. शासन के स्थाई/अस्थाई /वर्क चार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मंडलों आदि कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द 'छंटनी' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटंनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो।

4. भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा पहले दी गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द 'भूतपूर्व' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :–

i. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवृत्ति रियायतें के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो।

ii. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने। (ख) भर्ती की शर्ते पूर्णकर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।

iii. ऐसा अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं)

iv. ऐसा अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

v. ऐसा सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

vi. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।

vii. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

5. महिला पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ –1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी , जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/ पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।

7. स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

8. विधवा, परित्याक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

9. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

10. राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित " शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीणचंद्र भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं " को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

11. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

12. अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अद्यतन परिपत्रों के प्रावधान लागू रहेंगे।

13. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर, दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देशानुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। किन्तु परिपत्र कमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 27.09.2013 दिए गए निर्देश के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। परंतु अन्य विशेष वर्ग जैसे छ0ग0 निवासी अजजा/अजा/अपिव (गैर क्रीमिलियर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय –समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छुट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छुट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

14. आयु की गणना दिनांक 01.01.2015 के संदर्भ में की जाएगी।

15. निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

16. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।

6. आवेदन जो पात्र नही होंगे :–

1. जिन आवेदकों की 02 से अधिक संताने हों, जिनमें से 01 का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

2. महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नही होगें। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।

7. **आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.09.2015 समय 5.00 बजे तक।**

8. **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :–**

1. सभी आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर को स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। आवेदक कृपया ध्यान देवें कि डाक अथवा किन्ही कारणों से होने वाले किसी भी विलंब के लिये कार्यालय उत्तरदायी नही होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेंगे एवं स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नही होगा।

2. शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आयु के प्रमाण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

3. अनुभव प्रमाण पत्र समक्ष प्राधिकारी द्वारा उनके लेटरहेड में जारी किये गए होना चाहिए।

4. शासकीय, अर्द्वशासकीय, स्वशासी संस्थानों में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5. आवेदक अपनी अर्हताएं, संबंधित अनुभव की जांच स्वयं कर लें एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हताएं, अनुभव एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक के विरूद्व समुचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

6. आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

7. आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जांच कराई जायेगी, जांच में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अतः असत्य जानकारी न दी जावे

8. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए –4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ–साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा हुआ 02 लिफाफा (5 रू. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है।

9. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर, दिया जावेगा।

10. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

11. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

12. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रमीलेयर) की श्रेणी में आता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटिशन क्र. (सी) 591/2012,592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

9. **चयन प्रकिया** :– विज्ञापित पद के लिए आवेदक का चयन उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रकिया में आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार किया जावेगा।.

i. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेशानुसार बनाई गई परीक्षण समिति / चयन समिति/मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

13/8/2013

कलेक्टर –सह–अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, जिला.....

..... (छत्तीसगढ़)

फोन नं.: ---------- वेबसाईट : ----------Email----------

कार्यालय सहायक एवं कार्यालय हेल्पर पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

हाल ही में खीचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं से सत्यापित कर चस्पा करें।

आवेदित पद का नाम - .....

1. आवेदक का नाम - .....
2. पिता/पति का नाम - .....
3. जन्मतिथि अंकों में :- दिन..... माह..... वर्ष.....

   आयु दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में :- दिन..... माह..... वर्ष.....
4. लिंग :- पुरूष ☐ महिला ☐
5. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है : हां ☐ नहीं ☐
6. जाति :-

अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य ☐

7. क्या आप विकलांग है : हां ☐ नहीं ☐
8. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का विवरण जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है -

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क (यदि कोई है)
1	2	3	4	5	6	7	8

आवेदक के हस्ताक्षर

9. छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में शीघ्रलेखक के रूप में कार्यालयीन कार्य का अनुभव का विवरण

(A) Pl. mentions all experiences in descending order with respect to calendar.

क्र.	नियोक्ता विभाग/आर्गनाईजेशन का नाम	संस्था/प्रतिष्ठान का नाम जहाँ कार्य किया/कर रहे है	पदनाम	पद की प्रकृति (अस्थायी/स्थायी संविदा या अन्य)	मासिक वेतन (रू. में)	कार्य ग्रहण अवधि दिनांक सहित	कुल अनुभव (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8

(B) प्राप्त अनुभवों के संबंध में अधिकतम 100 शब्दों में विवरण आवेदन के साथ संलग्न करें।

(C) नियोक्ता के संबंध में जानकारी :-

नियोक्ता विभाग/ आर्गनाईजेशन का नाम	संस्थान/प्रतिष्ठा का नाम जहाँ कार्य किया है या कर रहे है, का पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित/मोबाईल नं.	ई-मेल	अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5

टीप :-आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जॉच कराई जायेगी, जॉच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का अवेदन पद हेतु अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अतः असत्य जानकारी न दी जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

10. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं यदि हां तो 1. कितने वर्ष की.....
2. कारण बतायें तथा प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति लगायें .....

टीप :- आवेदक को पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी/पत्राचार ई-मेल/SMS के माध्यम से दिया जायेगा। अतः ध्यान पूर्वक ई-मेल एवं मोबाईल नंबर अंकित करें।

निम्न बिंदुओ की जानकारी हेतु उचित खाने में √ चिंह अंकित करें। यदि जानकारी हां में है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

11. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? हां ☐ नहीं ☐

12. पत्र व्यवहार का पता :- .....
.....
एसटीडी कोड-.....लैंडलाईन नं.....
मोबाईल नं.....ई-मेल.....
जिला का नाम-.....पिन कोड-.....

13. क्या आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारक है ? हां ☐ नहीं ☐

14. क्या आप शासकीय सेवा से छंटनी किये गये है हां ☐ नहीं ☐

15. क्या आप अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन, योजनान्तर्गत पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नि हैं ? हां ☐ नहीं ☐

16. क्या आप विक्रम पुरस्कार विजेता है ? हां ☐ नहीं ☐

17. क्या आपके पास आवेदित पद के लिये शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं है ? हां ☐ नहीं ☐

18. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहितः- :-.....

19. विवाहित होने की स्थिति में विवाहः- की तिथि .....

20. अंतिम बच्चे की जन्मतिथि :-.....

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. आयु के सत्यापन के संबंध में 10वीं/अन्य की अंकसूची
2. अनुभव प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. मूल निवास प्रमाण-पत्र
5. पंजीयन प्रमाण-पत्र
6. जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूं की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा स्थायी पता